International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 03-02-2024, Accepted: 26-02-2024, Published: 20-03-2024
Volume 10, Issue 2, 2024, Page No. 32-34

भारतीय संघात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिकाः वर्तमान परिदृश्य

सागर साहनी[1], पंकज कुमार[2]
[1] राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। जहां क्षेत्रीय दलों का विशेष महत्व है। क्षेत्रीय दल भारतीय संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय 1989 के बाद तेजी से देखा गया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित करते थें। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल कमजोर होते जा रहे हैं। वह संसद में या राज्य विधानसभाओं में क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिससे कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठा रहे हैं समस्या को समझने के लिए तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह प्रतित होता है कि केन्द्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व और क्षेत्रीय स्तर के दलों में कोई प्रमुख चेहरा ना होना प्रमुख कारण हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के उभरने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का क्षेत्रीय दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

मूलशब्दः संघवाद, क्षेत्रीय दल, एक राष्ट्र एक चुनाव

स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी थी इसके प्रमुख नेता विदेशो में शिक्षित थें और अंग्रेजी रहन–सहन और अधिकारों के बारे में जानते थें। इस लिए वे भारत में वैसे ही अधिकार और लोगों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके राह में बाधा आने पर वे स्वयं अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते थे और अपनी बातों को सरकार के सामने रखते थे। सरकार इनकी बातों को सुनती थी और नीतियों में बदलाव भी करती थी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विपक्ष के न होने पर भी ये लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते थे। जब सन 1967 में कांग्रेस की 8 राज्यों में सरकार को बहुमत नहीं मिला तब कांग्रेस पार्टी से निकले हुए लोगों ने ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। कांग्रेस को अंब्रेला पार्टी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर कई राजनीतिक दल बने हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी इत्यादि

भारत में दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों में विभाजित किया गया है। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी राज्य पार्टी इसके लिए पार्टियों को निश्चित संख्या में सीटें प्राप्त करनी होती हैं। निर्वाचन आयोग इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय और राज्य पार्टी का दर्जा देता है। राष्ट्रीय पार्टियों को कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जैसे उन्हें अधिक स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। उन्हें प्रचार के लिए अधिक धन खर्च करने की अनुमति होती है। इसी प्रकार सरकारी चौनल पर अपनी बात रखने के लिए निश्चित समय मिलता है जिससे वह अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं।

वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। राज्य मान्यता प्राप्त दल 47 है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल 1593 हैं। इस प्रकार भारत में काफी अधिक संख्या में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। किसी प्रकार का विवाद होने पर जैसे चुनाव चिन्ह आचार संहिता की उल्लंघन के मामले निर्वाचन आयोग देखता है।

क्षेत्रीय दल

भारत में राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति जो विभिन्न स्तरों स्थानीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी संघात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का उदय एक सकारात्मक परिघटना है। स्वतंत्रता से 1967 तक यह काम केवल कांग्रेस पार्टी करती थी लेकिन 1967 के पश्चात क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्रीय मुद्दे सरकार के सामने रखने लगे अपनी क्षमता के साथ उत्तरदायित्व का भी परिचय देते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां एक क्षेत्रीय महत्व की पार्टियां होती हैं और एक क्षेत्र विशेष तक ही इनका प्रभाव रहता है। यह जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रीय हितों के लिए काम करती हैं। यह अपने राज्य को राज्य के लोगों के लिए समर्पित करने की मांग करती हैं जैसे मुंबई में धरतीपुत्र की अवधारणा का विकास हुआ। जिसमें वहां रोजगार केवल मुंबई वालों के लिए आरक्षित करने की मांग की गई और दूसरे राज्यों के लोगों जैसे यूपी, बिहार के लोगों को प्रताड़ित कर भागने का प्रयास किया गया। वे केंद्र में अपने बल पर सरकार बनाने में असमर्थ होती हैं। हालांकि गठबंधन की सरकार बनने पर क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ जाता है। और वे अधिक मामलों में दबाव डालकर अपने क्षेत्र के पक्ष में निर्णय लेने के लिए विवश कर लेती हैं।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गठबंधन की राजनीति ने राजनीति के अपराधीकरण को भी तेज किया है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ने से अपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के चुनावी राजनीति में उनके जरिए प्रतिनिधि संस्थानों में प्रवेश की समस्या बहुत बढ़ गई है। गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक व्यवस्था की साख को दाव पर लगाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी है। आज कई ऐसे क्षेत्रीय नेता है जो आपराधिक छवि के हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने समर्थन के बदले भ्रष्टाचार और अपनी संकीर्ण क्षेत्रीय हितों के लिए काम करती हैं।

क्षेत्रीय पार्टियां संघ सरकार से अधिक स्वायतता की मांग करती हैं। जैसे आनंदपुर साहिब रिजॉल्यूशन, पश्चिम बंगाल ज्ञापन आदि प्रकार की आयोग ने संघ को कुछ मामले सौंप कर अन्य

सभी अधिकार राज्य सरकारों को देने का सुझाव दिया। इस प्रकार इन संकीर्ण क्षेत्रीय हितों के कारण राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्टियों मौजूद हैं। सभी क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका अलग–अलग होती है। लेकिन उनका लक्ष्य एक होता है जो कि वह अपने क्षेत्र भाषा या समुदाय के मुद्दे को उठाकर अपने पक्ष में फैसला कर सके।

भारतीय संघात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का उद्भव

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं के सामने दो विकल्प थे। संघात्मक व्यवस्था या फिर एकात्मक व्यवस्था। भारत की विविधता और विशालता को देखते हुए भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था का चुनाव किया गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा की तर्ज पर अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य के मध्य में किया जाता है। भारत में संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ को अधिक और महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियों को संघ को दिया गया है। अमेरिका में संघ की शक्तियां लिख दी गई है बाकी की शक्तियां राज्यों को दे दी गई है।

संघात्मक व्यवस्था में दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। दल ही जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखते हैं। कुछ देशों में द्विपार्टी प्रणाली को ज्यादा अच्छा माना जाता है जैसे अमेरिका वहां सिर्फ दो दल है जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। लेकिन भारत में स्थिति उलट इसके उलट है। जहां सत्ता के लिए कई पार्टिया संघर्ष करती हैं। भारत में 1960 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का विकास तेजी से होना शुरू हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों के आने से भारतीय संघात्मक व्यवस्था में कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टियां समाज के पिछड़ी और दबे कुचले लोगों की बातों को संघ सरकार तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय समस्याओं को भली भांति जानती हैं इससे भारत की संघात्मक व्यवस्था की भावना को और बल मिला है।

समय के साथ क्षेत्रीय पार्टियों को दिल्ली में सरकार बनाने यानी लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्षेत्रीय दलों की सहयोग से गठबंधन सरकार बनती हैं। जैसे वर्तमान में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है फिर भी गठबंधन बरकरार है।

भारत में प्रमुख क्षेत्रीय दलों का स्वरुप

भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के राज्य स्तरीय दल पाए जाते हैं पहले प्रकार के राज्य स्तरीय दल वे हैं जो वास्तव में जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर आधारित है। इसके उदाहरण अकाली दल (पंजाब) शिवसेना (महाराष्ट्र) अन्नाद्रमुक (तमिलनाडु) नेशनल कांफ्रेंस (जम्मू कश्मीर) मिजो नेशनल फ्रंट आदि।

दूसरे प्रकार के वें दल हैं जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं परंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है। जैसे मुस्लिम लीग तथा क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि।

तीसरी प्रकार के राज्य दल हैं जो किसी समस्या विशेष को लेकर अथवा सदस्यों की छुब्धता को लेकर राष्ट्रीय दलों विशेष रूप से कांग्रेस से अलग होकर बने हैं इनमें से अधिकतर दल कुछ समय के लिए राष्ट्रीय दल रहे हैं उदाहरण केरल कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल इत्यादि।

क्षेत्रीय दलों का भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर प्रभाव

क्षेत्रीय पार्टी भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालती हैं। सकारात्मक प्रभाव में यह जनता की आवाज बनकर सरकार तक अपने क्षेत्र और समुदाय की मांगों को रखती हैं। इससे सरकार तक सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर नए नेताओं का जन्म होता है। जो राष्ट्रीय पटल पर छा जाते हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि। ये सभी क्षेत्रीय दलों से निकले हुए नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नकारात्मक प्रभाव में प्रथम प्रांतवाद और भाषावाद कुछ क्षेत्रीय पार्टियां प्रांतवाद को लेकर तो कुछ पार्टियां भाषावाद को लेकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास करती हैं। लेकिन इन सभी से देश की एकता और अखंडता को झटका लगता है। दूसरा क्षेत्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। यह पार्टियां सरकार में अपने समर्थन के बदले मनपसंद और लाभ वाले मंत्रालय की मांग करती हैं और इस पर पद पर अपने परिवार की सदस्यों को बैठक भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं। तीसरा क्षेत्रीय पार्टियां भारत में भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब वे बांग्लादेश से समझौता करना चाहते थे लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण यह समझौता नहीं हो सका।

एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रभाव

भारत चुनावों का देश है। भौगोलिक विस्तार और बहुदलीय संसदीय प्रणाली के दृष्टिकोण से हम इतने विशाल हैं कि यहां चुनाव का मौसम हावी रहता है। भारत में किसी न किसी भाग में समय–समय पर चुनाव होते रहते हैं कहीं विधानसभा चुनाव तो कहीं लोकसभा तो कहीं पंचायत/नगरी निकाय चुनाव। इससे देश का काफी नुकसान होता है। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। जिससे कि अन्य सारे काम प्रभावित होते हैं। लगातार चुनाव होते रहने से सरकार कोई कठोर निर्णय लेने से पहले जन आधार के बारे में सोचती है। इस वजह से कई निर्णय अधर में लटके रह जाते हैं। इसी प्रकार अचार संहिता लगने की वजह से सरकार कई सारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाती है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना समय की मांग है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा समय की मांग है और आवश्यकता भी।

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कर धन और समय के अपव्य से बचा जा सकता है। चुनावों में कर्मचारी और अधिकारी तथा लाखों पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान महीनों तक व्यस्त रहते हैं। इससे प्रशासनिक कुशलता में कमी आती है। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इस प्रकार के अपव्यय से बचा जा सकता है। इस प्रकार के अपव्यय को रोक कर विकास कार्यों में लगाया जाए तो देश की विकास गति और तीव्र होगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा नई नहीं है। वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुए थे। इसके पश्चात कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पूर्व भंग हो गई। इसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की एक साथ चुनाव कराने की परंपरा टूट गई। भारत अपने इस अनुभव का लाभ उठाते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को अमली जमा पहना सकता है। भारत विश्व के अन्य देशों के अनुभव से भी सीख सकता है। जैसे अमेरिका में चुनाव का दिन निश्चित है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी ब्रिटिश संसद उसके कार्यकाल को स्थिरता प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि सांसद अधिनियम 2011

पारित किया गया। जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव होते हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव से भारत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है। जब पूरे देश में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव साथ होंगे तब लोगों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करने का प्रभाव रहेगा। इस तरह क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार किसी करिश्माई व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर क्षेत्रीय मुद्दों से उलट नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या देश की जनता खास तौर से दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं इत्यादि राजनीतिक रूप से इतने सजग हैं कि एक साथ लोकसभा व विधानसभा के लिए मतदान करते समय मुद्दों की इतनी स्पष्ट समझ रखते हैं कि वह अलग–अलग दलों के प्रत्याशियों को मतदान कर सकें? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मतदाता एक समय किसी एक ही दल के साथ निष्ठा रखता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों में किसी एक ही राष्ट्रीय दल का बहुमत न हो जाए। इस मुद्दे के जवाब में यह तर्क दिया जा सकता है कि ओड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते हैं। लेकिन जनता विधानसभा के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी को चुनती है वही लोकसभा के लिए राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श करके समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोगों के साथ जुड़े होते हैं और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय दलों का उद्भव भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक परिघटना है। जब तक की यह क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी ना करें। कई बार यह देखा गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर देती हैं। क्षेत्रीय दलों ने देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्षेत्रीय दलों से कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं का जन्म हुआ है जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार आदि। ये ऐसे नेता रहे जो समाज के पिछडे लोगों की आवाज बनकर उभरे। क्षेत्रीय दल वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय दल कई राज्यों में इतने शक्तिशाली हैं कि अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियां उनसे गठबंधन करके कुछ सीटें प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अंततः भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ सुची

1. Kothari R. Politics in India. Orient Blackswan, 1970.
2. Bansal M. The Concept of One Nation One Election: An Analysis from Indian Perspective. Think India J,2019:22(4):3077-3084.
3. Vijay P. Harmonizing Democracy: Assessing the Feasibility and Implications of One Nation One Election in India. J Legal Stud Res,2023:9(6):230-256.
4. Mawdsley E. Redrawing the body politic: federalism, regionalism and the creation of new states in India. Commonw Comp Polit,2002:40(3):34-54.
5. Ghosh AK. The Paradox of ‘Centralised Federalism’: An Analysis of the Challenges to India’s Federal Design. ORF Occasional Paper,2020:(272):15-17.
6. Chhibber P, Murali G. Duvergerian dynamics in the Indian states: Federalism and the number of parties in the state assembly elections. Party Polit,2006:12(1):5-34.
7. Austin G. The Indian constitution: Cornerstone of a nation. Oxford University Press, 1966.